

कार्यालय-कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Telephone No. /Fax No. 07744-220814 E-mail ID fc-rajnandgaon@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक-22/दो-12-1/2023

राजनांदगांव, दिनांक 17.09.2023

विभागीय चयन समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस स्थापना में रिक्त सहायक ग्रेड-3 वेतनमान वेतन मेट्रिक्स 19500-62000 (लेवल-4) के समकक्ष पदों पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-

सहायक ग्रेड-03 अनारक्षित (मुक्त)

क्रं.	चयनित अभ्यर्थियों के नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित पद का नाम	रिमार्क
1	श्रीमती ज्योत्सना देवांगन पिता श्री दिनेश कुमार देवांगन	कुणाल टाईप सेन्टर, मोती मस्जिद के बाजू, मेन रोड, तुलसीपुर, वार्ड नं. 17, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ.ग. पिन नं. 491441	सहायक ग्रेड-3	
2	सोनम पटेल पिता श्री तीरथ प्रसाद पटेल	म.नं. 265, राजीव नगर, वार्ड नं. -9, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. पिन नं. 490023	सहायक ग्रेड-3	


सहायक ग्रेड-03 अनुसूचित जनजाति (मुक्त)

क्रं.	चयनित अभ्यर्थियों के नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित पद का नाम	रिमार्क
3	श्री तुषार मंडावी पिता श्री रोहित मंडावी	ममता नगर, गली नं. 04, वार्ड नं. 18, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ.ग. पिन नं. 491441	सहायक ग्रेड-3	

नियुक्ति की शर्त :-

- यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- चयनित उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित प्रति तथा मूल प्रति कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के समय चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण पत्र असत्य, अपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
- चयनित उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करते समय मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में उन्हें चयनित पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जावेगी।
- चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

5. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते का भुगतान/जमा कर सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्य पद हेतु आवेदन करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।
7. नवनियुक्त उम्मीदवार जो अन्यत्र सेवारत है वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
8. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 11.09.2023 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार, जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, तत्संबंध में नियुक्त कर्मचारीगण को उपरोक्त वर्णित अपराध में संलिप्त न होने व सिद्धदोष ठहराये नहीं जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. नियुक्ति कर्मचारियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा।
10. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 571/260/वि/ नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 के आलोक में नवनियुक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है, उक्त अवधि में उन्हें उनके पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में उनकी नियुक्ति समाप्त/परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी।



(विनीता वार्नर)
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
राजनांदगांव (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक-220/दो-12-1/2023
प्रतिलिपि:-

राजनांदगांव, दिनांक 17.09.2023

- 1- लेखापाल/नाजीर, कुटुम्ब न्यायालय, राजनांदगांव
2. श्रीमती ज्योत्सना देवांगन, पिता श्री दिनेश कुमार देवांगन, निवासी- कुणाल टाईप सेन्टर, मोती मस्जिद के बाजू, मेन रोड, तुलसीपुर, वार्ड नं. 17, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ.ग. पिन नं. 491441
3. कु. सोनम पटेल, पिता श्री तीरथ प्रसाद पटेल, निवासी- म.नं. 265, राजीव नगर, वार्ड नं.-9, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. पिन नं. 490023
4. श्री तुषार मंडावी, पिता श्री रोहित मंडावी, निवासी- ममता नगर, गली नं. 04, वार्ड नं. 18, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ.ग. पिन नं. 491441

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
राजनांदगांव (छ0ग0)